भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4419
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान यात्री कैफे

4419. **श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और उत्तर प्रदेश के विमानपत्तनों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना का विस्तार निजी कंपनियों द्वारा संचालित विमानपत्तनों तक न होकर केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित विमानपत्तनों तक ही होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने सरकारी और निजी स्वामित्व वाले विमानपत्तनों के भीतर कारोबार करने वाले खाद्य और पेय पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य और पेय पदार्थों की लागत को युक्तिसंगत बनाने के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): यात्रियों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने की नई पहल के रूप में कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद हवाईअड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' की अवधारणा शुरू की गई है। अन्य हवाईअड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' या इसी प्रकार के कम लागत वाले आउटलेट शुरू करना संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों के विवेक पर निर्भर है। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर, हवाईअड्डा प्रचालक ने 'उड़ान यात्री कैफे' विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

(ग): खाद्य और पेय सेवाओं सहित गैर-वैमानिक गतिविधियों की कीमतें हवाईअड्डा प्रचालकों और रियायतग्राहियों द्वारा बाजार की गतिशीलता और वाणिज्यिक सरोकारों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि वे सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जाती हैं। इसके अलावा, हवाईअड्डों द्वारा सृजित गैर-वैमानिक राजस्व (खाद्य और पेय पदार्थों सहित) के 30% का वैमानिक शुल्कों को क्रॉस-सब्सिडाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें कम हो जाती हैं।

*****